रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02112020-222894
CG-DL-E-02112020-222894

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 462] नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 2, 2020/कार्तिक 11, 1942
No. 462] NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 2, 2020/KARTIKA 11, 1942

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 अप्रैल, 2020

सं.एल–1/160/2020–केविविआ.—केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग, विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 178 के साथ पठित धारा 79 की उप–धारा (1) के खंड (छ) के अधीन प्रदत्त शक्तियों तथा इस निमित्त सामर्थ्यकारी सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (फीस का संदाय) विनियम, 2012 (जिसे इसके पश्चात् इसे मूल विनियम कहा गया है) का संशोधन करने के लिए एतद् द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ

(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (फीस का संदाय) (द्वितीय संशोधन) विनियम, 2020 है।

(2) ये विनियम दिनांक 1 अप्रैल, 2020 से प्रवृत्त होंगे।

2. मूल विनियमों के विनियम 2 का संशोधन

मूल विनियमों के विनियम 2 के खंड (1) के उप–खंड (ड) के बाद निम्नलिखित उप–खंडों को निम्नानुसार जोड़ा जाएगाः

"(ढ) "व्यापार अनुज्ञप्ति विनियम, 2009" से समय–समय पर यथासंशोधित केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (व्यापार अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए प्रक्रिया, निबंधन व शर्तें तथा अन्य संबद्ध मामले) विनियम, 2009 अभिप्रेत है;

(ण) "व्यापार अनुज्ञप्ति विनियम, 2020 से समय–समय पर यथासंशोधित केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (व्यापार अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए प्रक्रिया, निबंधन व शर्तें तथा अन्य संबद्ध मामले) विनियम, 2020 अभिप्रेत है।"

3. मूल विनियमों के विनियम 7 का संशोधन

(1) मूल विनियमों के विनियम 7 के खंड (3) को निम्नानुसार किया जाएगाः—

"(3)" व्यापार अनुज्ञप्ति विनियम, 2020 के अनुसार विद्युत में अंतर–राज्यिक व्यापार के लिए आयोग द्वारा किसी भी व्यक्ति जिसे अनुज्ञप्ति प्रदान की गई है या जिसे अनुज्ञप्ति प्रदान किया गया माना गया है, निम्नानुसार विनिर्दिष्ट दरों पर वार्षिक अनुज्ञप्ति फीस का भुगतान करेगा:

क्र.सं.	अनुज्ञप्ति की श्रेणी	वित्तीय वर्ष में व्यापार के लिए प्रस्तावित विद्युत की मात्रा	वार्षिक अनुज्ञप्ति फीस (₹ लाख में)
1	श्रेणी I	कोई सीमा नहीं	40
2	श्रेणी II	7000 एमयू तक	15
3	श्रेणी III	4000 एमयू तक	6
4	श्रेणी IV	2000 एमयू तक	3
5	श्रेणी V	500 एमयू तक	2

परंतु यह कि अनुज्ञप्तिधारी, व्यापार अनुज्ञप्ति विनियम, 2020 के विनियम 21 के अनुसार यथानिर्धारित उनकी निवल मालियत और विद्युत की मात्रा के आधार पर व्यापार अनुज्ञप्ति विनियम, 2020 के अधीन अनुज्ञप्ति की उनकी संबंधित श्रेणियों की वार्षिक अनुज्ञप्ति फीस का भुगतान करेंगे:

परंतु यह और कि वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए वार्षिक अनुज्ञप्ति फीस का भुगतान निम्नानुसार किया जाएगा:

(क) व्यापार अनुज्ञप्ति विनियम, 2009 के अधीन श्रेणी III और IV अनुज्ञप्तिधारी, व्यापार अनुज्ञप्ति विनियम, 2020 के अधीन श्रेणी V अनुज्ञप्तिधारी के लिए यथा लागू वार्षिक अनुज्ञप्ति फीस का भुगतान करेंगे;

(ख) व्यापार अनुज्ञप्ति विनियम, 2009 के अधीन श्रेणी II अनुज्ञप्तिधारी, व्यापार अनुज्ञप्ति विनियम, 2020 के अधीन श्रेणी IV अनुज्ञप्तिधारी के लिए यथा लागू वार्षिक अनुज्ञप्ति फीस का भुगतान करेंगे;

(ग) वर्ष 2020–21 के दौरान व्यापार के लिए प्रस्तावित मात्रा के आधार पर व्यापार अनुज्ञप्ति विनियम, 2009 के अधीन श्रेणी I अनुज्ञप्तिधारी, व्यापार अनुज्ञप्ति विनियम, 2020 के अधीन श्रेणी I या II या III या IV अनुज्ञप्तिधारी के लिए यथा लागू वार्षिक अनुज्ञप्ति फीस का भुगतान करेंगे:

परंतु यह भी कि वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए उपर्युक्त द्वितीय परंतुक के (क), (ख) या (ग) के अनुसार भुगतान की गई वार्षिक अनुज्ञप्ति फीस, व्यापार अनुज्ञप्ति विनियम, 2020 के विनियम 21 के अनुसार व्यापार अनुज्ञप्ति की श्रेणी के निर्धारण के अनुसार फीस के समायोजन के अध्यधीन है।"

सनोज कुमार झा, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./315/2020-21]

टिप्पण : मूल विनियम भारत के राजपत्र (असाधारण), सं. 79 के भाग III, खंड 4 में दिनांक 30.3.2012 को प्रकाशित किए गए थे और मूल विनियमों का प्रथम संशोधन भारत के राजपत्र (असाधारण), सं. 246 के भाग III, खंड 4 में दिनांक 22.6.2017 को प्रकाशित किए गए थे।

CENTRAL ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th of April, 2020

No. L-1/160/2020-CERC.—In exercise of powers conferred under clause (g) of sub- section (1) of Section 79 read with Section 178 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003), and all other powers enabling it in this behalf, the Central Electricity Regulatory Commission hereby makes the following regulations to amend the Central Electricity Regulatory Commission (Payment of Fees) Regulations, 2012 (hereinafter referred to as “the Principal Regulations”), namely.-

1. Short title and commencement

(1) These regulations may be called the Central Electricity Regulatory Commission (Payment of Fees) (Second Amendment) Regulations, 2020.

(2) These regulations shall come into force with effect from 1st April 2020.

2. Amendment of Regulation 2 of the Principal Regulations

The following sub-clauses shall be added after sub-clause (m) of Clause (1) of Regulation 2 of the Principal Regulations as under:

"(n) "Trading Licence Regulations, 2009" means the Central Electricity Regulatory Commission (Procedure, Terms and Conditions for grant of trading licence and other related matters) Regulations, 2009, as amended from time to time;

(o) "Trading Licence Regulations, 2020" means the Central Electricity Regulatory Commission (Procedure, Terms and Conditions for grant of trading licence and other related matters) Regulations, 2020, as amended from time to time."

3. Amendment of Regulation 7 of the Principal Regulations

(1) Clause (3) of Regulation 7 of the Principal Regulations shall be substituted as under:-

"(3) Any person who has been granted or is deemed to have been granted licence by the Commission for inter-State trading in electricity in accordance with Trading Licence Regulations, 2020 shall pay the annual licence fee at the rates specified hereunder:

S. No.	Category of licence	Volume of electricity proposed to be traded in a Financial Year	Annual Licence Fee (Rs. in lakh)
1	Category I	No Limit	40
2	Category II	Upto 7000 MUs	15
3	Category III	Upto 4000 MUs	6
4	Category IV	Upto 2000 MUs	3
5	Category V	Upto 500 MUs	2

Provided that the licensees shall pay the annual licence fee of their respective categories of licence under the Trading Licence Regulations, 2020 based on their Net Worth and volume of electricity, as determined in accordance with Regulation 21 of Trading Licence Regulations, 2020:

Provided further that the annual licence fee shall be paid for the financial year 2020-21 as under:

(a) Category III and IV licensees under Trading Licence Regulations, 2009 shall pay the annual licence fee as applicable for Category V licensee under the Trading Licence Regulations, 2020;

(b) Category II licensees under Trading Licence Regulations, 2009 shall pay the annual licence fee as applicable for Category IV licensee under the Trading Licence Regulations, 2020; and

(c) Category I licensees under Trading Licence Regulations, 2009 shall pay the annual licence fee as applicable for Category I or II or III or IV licensee, as applicable, under the Trading Licence Regulations, 2020 based on the volume proposed to be traded during 2020-21:

Provided also that the annual licence fee for the financial year 2020-21, paid as per (a), (b) or (c) of second proviso above, is subject to adjustment of fee as per the determination of category of trading licence in accordance with Regulation 21 of the Trading Licence Regulations, 2020."

SANOJ KUMAR JHA, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./315/2020-21]

Note : Principal Regulations were published on 30.3.2012 in Part III, Section 4 of the Gazette of India (Extraordinary), No 79 and first amendment to the Principal Regulations were published on 22.6.2017 in Part III, Section 4 of the Gazette of India (Extraordinary) No 246.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. KUMER CHAND MEENA